

न्यायालय—सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.—193 / 2005

संस्थित दिनांक—08.04.2005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

थानसिंह पिता कमलसिंह एड़े, जाति पंवार, उम्र 50 साल,
निवासी—वार्ड नं.15, कमल नगर, बैहर, जिला—बालाघाट

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—28.05.2015 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध धारा—24 म.प्र.आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1987 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ए के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 17.2.2005 को शाम 8:35 बजे ग्राम हीरापुर, थाना बैहर अंतर्गत अंकेश लोहार का ईलाज एलोपैथिक पद्धति से कर उसे इंजेक्शन लगाया एवं अंग्रेजी दवाईयाँ दी, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई, जबकि धारा—11 म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं थे।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि मृतक अंकेश लोहार पिता सूरज लोहार, उम्र 10 माह, निवासी हिरापुर को दिनांक 16.02.2005 को प्रातः से बुखार था, जिसको प्राइवेट चिकित्सक आरोपी थानसिंह एड़े को दिखाया गया। आरोपी द्वारा अंकेश को कमर में दाहिने तरफ एक इंजेक्शन लगाया गया तथा एक टेबलेट को 3 मात्रा खाने के लिए दी गई, फिर भी अंकेश लोहार का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, जिस पर दिनांक 17.02.2005 को शाम 6:35 बजे अंकेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में भर्ती कराया गया, जहाँ ईलाज के दौरान रात 10:35 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना की सूचना डॉ. कुमारे द्वारा थाना बैहर में दिये जाने पर मृतक अंकेश के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि मृतक अंकेश की मृत्यु डेक्सामेथॉसोन दवाई के ओवरडोज से ड्रग टाक्सी सीटी के कारण हुई है। विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतक का ईलाज प्राइवेट चिकित्सक आरोपी थानसिंह एड़े द्वारा बिना रजिस्टर्ड एलोपैथिक चिकित्सक होते हुए एलोपैथिक

चिकित्सा पद्धति द्वारा लापरवाही पूर्वक कर इंजेक्शन लगाकर टेबलेट खाने को दी गई थी, जिसके दुष्परिणाम के कारण बालक अंकेश की मृत्यु हुई, जो धारा 304 ए भा.दं.सं. एवं धारा 24 म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1987 का अपराध पाये जाने से आरोपी थानसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक-13/2005 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, पुलिस द्वारा गवाहों के बयान लिये गये, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, जप्तीपत्रक के अनुसार सम्पत्ति जप्त कर जप्तशुदा सम्पत्ति विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजी गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. आरोपी को धारा-24 म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1987 एवं धारा 304 ए भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है तथा बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

4. प्रकरण में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक-10.09.2013 को निर्णय पारित कर निर्णयानुसार आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 ए के अंतर्गत दोषमुक्त कर म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1987 की धारा-24 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/-रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त निर्णयानुसार दोषसिद्धि के विरुद्ध आरोपी के द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर माननीय अपीलीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालाघाट श्रीमान जे.एम. चतुर्वेदी के द्वारा निर्णय दिनांक-18.11.2014 को दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक-10.09.13 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ विचारार्थ सुपुर्द किया गया है कि विचारण न्यायालय अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज को साक्ष्य में लेकर दोनों पक्षों को दस्तावेजों के संबंध में परीक्षण/प्रतिपरीक्षण का अवसर देकर पुनः गुण दोष के आधार पर निर्णय घोषित करें।

5. माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण में आरोपी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को आरोपी थानसिंह बचाव साक्षी क्रमांक-1 की साक्ष्य में प्रदर्श कर उभयपक्ष को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए आरोपी के विरुद्ध प्रकरण का म.प्र.

आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1987 की धारा-24 के अपराध के अंतर्गत पुनः गुण-दोषों पर निराकरण किया जा रहा है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 17.2.2005 को शाम 8:35 बजे ग्राम हीरापुर, थाना बैहर अंतर्गत मृतक अंकेश लोहार का ईलाज एलोपैथिक पद्धति से कर धारा-11 म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 का उल्लंघन किया है ?

विचारणीय बिन्दु क्र.-1 पर सकारण निष्कर्ष :-

7. देवलाबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मृतक अंकेश उसका पुत्र था, उसको बुखार आने पर उसके ससुर आरोपी को ईलाज हेतु बुलाकर लाये थे, आरोपी ने बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया और दो टेबलेट दिया था, जिससे बच्चे को आराम हो गया था, फिर 4-5 दिन बाद बुखार आने पर उन्होंने बच्चे को बैहर अस्पताल लाये थे तो अस्पताल वालों ने ईलाज करने से मना कर बालाघाट ले जाओ कहा था। आगे साक्षी यह भी कथन है कि अस्पताल में एक इंजेक्शन लगाये थे, पैसे का इंतजाम करने गये उतने में ही बच्चा फौत हो गया। नक्शा पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. धर्मलाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है, घटना 2-3 साल पहले की है, जब उसके नाती की तबीयत खराब हुई तब आरोपी को ईलाज के लिए लाये थे, तो उसने उसके नाती को एक इंजेक्शन लगाया था और दो गोली दी थी, जिससे उसके नाती को आराम हो गया था, किंतु बाद में नाती की तबीयत खराब हो गई तो उसे बैहर के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ डॉक्टरों ने ईलाज हेतु बालाघाट ले जाने को कहा। वह पैसे के इंतजाम करने के लिए चला गया तो उसका नाती फौत हो गया।

9. उक्त दोनों साक्षी के कथनों का बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई खण्डन नहीं किया गया है कि आरोपी के द्वारा मृतक अंकेश का ईलाज किया गया और ईलाज के दौरान इंजेक्शन लगाया गया और टेबलेट दी गई। इन साक्षीगण के कथनों का समर्थन देवलाबाई (अ.सा.2) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है और यह प्रकट किया है कि आरोपी ने मृतक अंकेश का इंजेक्शन लगाकर और टेबलेट देकर

ईलाज किया था। इस प्रकार अभियोजन की ओर से इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है कि आरोपी ने मृतक अंकेश का इंजेक्शन लगाकर और टेबलेट देकर ऐलोपैथिक चिकित्सीय पद्धति से ईलाज किया था।

10. अनुसंधानकर्ता खेलचंद पटले (अ.सा.9) सहा.उपनिरीक्षक ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 17.02.2005 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर से प्रदर्श पी-5 की सूचना प्राप्त होने पर उसके द्वारा बालक अंकेश का मुलाहिजा करवाया गया। दिलीप पंचेश्वर (अ.सा.10) सहा.उपनिरीक्षक ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 17.02.2005 को शासकीय अस्पताल बैहर से बालक अंकेश की मृत्यु संबंधी लिखित तहरीर प्रदर्श पी-7 प्राप्त होने पर उसने मार्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-14 लेख किया था। साक्षी खेलचंद पटले (अ.सा.9) का आगे कथन है कि दिनांक 17.02.2005 को ही बालक अंकेश की मृत्यु की सूचना एवं मार्ग इंटीमेशन के आधार पर उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 लेख की थी तथा विवेचना के दौरान मृतक अंकेश का मार्ग जांच प्रपत्र प्रदर्श पी-2, नक्शा पंचायत नामा प्रदर्श पी-1 तथा सुरेश के बताये अनुसार घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-12 तैयार कर मृतक अंकेश के शव को शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श पी-10 के द्वारा पोस्टमार्टम हेतु भेजा था। दिनांक 20.2.2005 को साक्षी देवलाबाई, सूरज, धरमलाल, हिरमाबाई, भगतलाल तथा सरस्वतीबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था एवं इसी दिनांक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर के स्वीपर द्वारा चार सीलबंद बरनी, जिसमें मृतक अंकेश का बिसरा, नमक का घोल एवं कुल्हे की चमड़ी होना बताया गया था, जप्तीपत्र प्रदर्श पी-13 के अनुसार जप्त किया था। दिनांक 21.02.2005 को आरोपी से साक्षियों के समक्ष एक इंजेक्शन, डेफ्टामेथीसोन दवाई की शीशी, 6 पैरासीटामॉल टेबलेट एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का सर्टिफिकेट जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्त किया था तथा जप्तशुदा सम्पूर्ण सम्पत्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर परीक्षण हेतु भेजी गई थी एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा उसके कथनों का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है, इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11. प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी के द्वारा मृतक अंकेश का दिनांक 17.02.2005 को ऐलोपैथीक पद्धति से ईलाज करते हुए दवाई व इंजेक्शन दी गई थी।

12. आरोपी ने कौंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श डी-2 एवं म.प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्श डी-3 पेश किया है। आरोपी की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि यदि आरोपी के द्वारा कथित रूप से एलोपैथीक पद्धति से ईलाज किया जाना प्रमाणित पाया जाता है तो वह म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की श्रेणी में आता है तथा उसके द्वारा उक्त अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से समर्थन में प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **गोर्धन विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2009 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन 34** पेश किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याची आयुर्वेदिक औषध तथा शल्य चिकित्सा में रजिस्टर्ड व्यवसायी है तो वह एलोपैथिक औषधियां भी प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

13. आरोपी की ओर से प्रस्तुत कौंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श डी-2 एवं म.प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्श डी-3 के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता कि आरोपी को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से ईलाज करने की मान्यता प्राप्त है। इस संबंध में आरोपी की ओर से राज्य सरकार के द्वारा जारी कोई नोटिफिकेशन भी पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **भारतीय अल्टरनेटिव मेडिकल फाउण्डेशन व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. व अन्य 2010 (4) एम.पी.एल.जे. 124** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसीन की विशिष्ट सिस्टम मान्यता देने हेतु विधान हेतु न्यायालय राज्य सरकार को विवश नहीं कर सकती।

14. आरोपी के पास घटना के समय एलोपैथीक पद्धति से ईलाज किये जाने हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी की डिग्री होना प्रकट नहीं होता है और न ही

आरोपी ने विधिवत् बी.ए.एम.एस की डिग्री प्राप्त की है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत गोर्धन विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2009 (2) एम.पी. डब्ल्यू.एन 34 का लाभ आरोपी को प्राप्त नहीं होता है। आरोपी पर यह भार था कि वह यह साबित करे कि उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार उसे ऐलोपैथिक चिकित्सीय पद्धति के अंतर्गत भी ईलाज करने की पात्रता प्राप्त थी, जिसे आरोपी ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। बल्कि न्यायदृष्टांत भारतीय अल्टरनेटिव मेडिकल फाउण्डेशन व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. व अन्य 2010 (4) एम.पी.एल.जे. 124 के आलोक में आरोपी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उसे ऐलोपैथिक पद्धति से चिकित्सीय व्यवसाय करने की अनुज्ञा प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है।

15. प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्य एवं उक्त विधिक स्थिति की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन की ओर से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है कि आरोपी ने मृतक अंकेश का ऐलोपैथिक पद्धति से ईलाज किया था, जबकि आरोपी के पास कौंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र था, जिसके अंतर्गत उसे ऐलोपैथिक पद्धति से चिकित्सीय व्यवसाय करने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं थी। आरोपी ने म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 11 के अंतर्गत विधिवत् पंजीकृत होने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है तथा आरोपी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11 का उल्लंघन किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार आरोपी ने म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अपराध किया है, जिसके परंतुक के अधीन आरोपी को लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतएव आरोपी को म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया जाता है।

16. अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को आपराधिक परीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पुनश्च :-

17. आरोपी व उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। आरोपी आदतन अपराधी नहीं है, परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, वह प्रकरण के विचारण में लगातार उपस्थित रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

18. आरोपी के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम के प्रमाण पत्र के आधार पर ऐलोपैथिक पद्धति से ईलाज किया जाना न केवल अपराध है, बल्कि ग्रामीण एवं अनपढ़ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। ऐसे अपराध के लिए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर समाज में गलत संदेश पहुँचेगा। अतएव आरोपी को म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत 01(एक) वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/-रु. (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को 02(दो) माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावे।

19. आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

20. आरोपी मामले में अभिरक्षा में नहीं रहा है। इसके संबंध में धारा 428 दं. प्र.सं. के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।

21. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मृतक का बिसरा अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे तथा आरोपी का जप्तशुदा प्रमाण पत्र अपील अवधि पश्चात् उसे वापस किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट